

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 255/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक W0525322

विषय :- माह अगस्त-22 में 2960 रीडिंग राशि रु.27674/- का बिल देने बाबत।

श्री जुगल किशोर वर्मा,
9 जंगमपुरा,
इन्दौर म.प्र.,
विरुद्ध

-----परिवादी

कार्यपालन यंत्री (मध्य शहर) संभाग मप्रपक्षेविविकलि. इन्दौर,

-----उत्तरदाता

आदेश

(आज दिनांक 26.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी की ओर से अभिभाषक श्री आशिष जैन, उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकलिमि. की ओर से श्री भास्कर घोष कनिष्ठ यंत्री उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में लेख किया गया कि उनका सर्विस कनेक्शन क्रमांक N3004006889, स्वीकृत भार 1.0 किलो वॉट है।

1. परिवादी विपक्षी का नियमित उपभोक्ता है। विपक्षी द्वारा जैसे ही बिल दिया जाता, परिवादी द्वारा बिल जमा करा दिया जाता था। विपक्षी द्वारा अगस्त-2022 में 2960 रीडिंग का बिल राशि रु. 27,674/- का दिया गया। जबकि इसके पूर्व विपक्षी द्वारा जो बिल दिया गया था, उसे परिवादी निरन्तर जमा करता रहा है। परिवादी के परिसर में एक माह में इतनी खपत परिवादी द्वारा उपयोग किया जाना संभव नहीं है, क्योंकि परिवादी परिसर में अकेला व्यक्ति रहता है और कभी भी एक माह में 50 से 70 यूनिट से ज्यादा का उपयोग परिवादी ने नहीं किया है। विपक्षी द्वारा बताया गया कि, स्मार्ट मीटर में रीडिंग आई है। परिवादी द्वारा विधि विशेषज्ञ से दस्तावेज दिखवाए गए तो पाया गया कि, परिवादी के परिसर में लगभग 36 माह से रीडिंग का बिल ही नहीं दिया गया है। अर्थात् जो 2960 यूनिट का बिल है वह 36 माह की खपत का बिल है, और इस मान से अवलोकन किया जावे में 2960/36 कुल 82 यूनिट प्रतिमाह की खपत दर्ज होना दर्शित हो रही है। किन्तु यदि विपक्षी प्रत्येक माह का बिल परिवादी को देते तो परिवादी को म.प्र.शासन का लाभ प्राप्त हो जाता, किन्तु एक साथ रीडिंग देने पर विपक्षी ने परिवादी को वह लाभ प्रदान नहीं किया है, जिसका परिवादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. यह कि, उपरोक्त चरण 7.1 के समावेश पर से परिवादी को 36 माह का एक साथ दिया गया बिल 2960 यूनिट को 36 माह के स्लेब का लाभ के साथ, जो परिवादी को म.प्र.शासन द्वारा दी गई स्कीम का लाभ 100 यूनिट प्रतिमाह एवं तत्समय में प्रचलित म.प्र. शासन के समस्त लाभ दिलवाने की कृपा करे।

3. परिवादी को 36 माह का एक साथ दिया गया बिल 2960 यूनिट को 36 माह के स्लेब का लाभ के साथ, जो परिवादी को म.प्र.शासन द्वारा दी गई स्कीम का लाभ 100 यूनिट प्रतिमाह एवं तत्समय में प्रचलित म.प्र.शासन के समस्त लाभ दिलवाने की कृपा करें।

परिवादी की ओर से अतिरिक्त लिखित तर्क प्रस्तुत है:-

1. यह कि, परिवादी के तथ्यों के समाविष्ट सहित परिवादी का विन्नम निवेदन है कि, परिवादी 70 वर्षीय वृद्ध होकर अकेला रहता है, परिवादी के अलावा इस परिसर में कोई भी नहीं रहता है।

2. यह कि, विपक्षी ने दिनांक 09.09.2022 को अपना तर्क प्रस्तुत किया गया, एवं दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, एवं स्वयं उपस्थित होकर माननीय सदस्यगण महोदय के समक्ष बताया गया था कि, स्मार्ट मीटर की रीडिंग 36 माह तक नहीं होने के कारण परिवादी को एकत्रित यूनिट का बिल दिया गया है।

3. इसी तारतम्य में परिवादी का विन्नम निवेदन है कि, विपक्षी के स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली के कारण परिवादी को गंभीर नुकसान हुआ है, क्योंकि म.प्र.शासन की स्कीम का लाभ परिवादी को नहीं मिला है। परिवादी द्वारा निरन्तर बिल जमा किए गए हैं। स्मार्ट मीटर डिटेल् से भी स्पष्ट है कि, परिवादी ने कभी भी 70-80 यूनिट प्रतिमाह से ज्यादा उपयोग ही नहीं किया है। और प्रतिमाह 70 यूनिट भी इसलिए बनते हैं क्योंकि परिवादी दिन भर घर पर अकेला रहता है, और केवल एक पंखा और 9 वॉट के 2 बल्ब के अलावा परिवादी के परिसर में कुछ भी नहीं है, जो निरन्तर चलता है।

4. परिवादी का विन्नम निवेदन है कि, परिवादी को जो शासन की स्कीम का लाभ नहीं मिल पाया है, वह राशि परिवादी को दिलवाने की कृपा करे। साथ ही जो राशि परिवादी ने जमा की है, वह उसके बिल में समायोजित करवाने की कृपा करे। तत्संबंधी समस्त सरचार्ज करने की कृपा करे।

विपक्ष का कथन :-

विपक्ष द्वारा लेख किया गया है कि, उपभोक्ता श्री जुगल किशोर वर्मा निवासी 9 जंगमपुरा अधिक बिल आने की शिकायत की गई थी जिस संबंध में विद्युत कंपनी के द्वारा बिदुवार अपना प्रतिउत्तर साक्ष्य सहित निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

1. उपभोक्ता बिल में दिसम्बर-19 से दर्ज मीटर क्रमांक 93037379 की स्मार्ट मीटर द्वारा ऑनलाइन रीडिंग आ रही थी जो 67 यूनिट थी। इसके अनुसार उपभोक्ता के 0 कंजम्शन के बिल सिस्टम द्वारा जनरेट किये जा रहे थे। (संलग्न- स्मार्ट मीटर की एम.डी.एम. से प्राप्त रीडिंग डिटेल्)।

2. माह अगस्त-22 में 0 कंजम्पशन के बिलों की जाँच की गई जिसमें उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर क्रमांक 93039332 की रीडिंग 3027 पाई गई। उपभोक्ता द्वारा बताया गया कि परिसर में शुरू से यही स्मार्ट मीटर लगा है। उपभोक्ता द्वारा 0 रीडिंग के संबंध में कभी भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई।

3. उपभोक्ता परिसर में लगे वास्तविक मीटर नंबर 93039332 जो कि स्मार्ट मीटर एम.डी.एम. साइट से जाँच करने पर माह जनवरी-2020 से उपभोक्ता के परिसर में स्थापित होकर प्रतिमाह रीडिंग आ रही है। (संलग्न:- स्मार्ट मीटर की एम.डी.एम. से प्राप्त रीडिंग डिटेल)।

4. उक्त रीडिंग को मीटर इंस्टॉलेशन की दिनांक से अब तक का उपभोग मानते हुये एम.पी.इ. आर.सी. के नियमानुसार स्लैबिंग का सुधार किया जा रहा है जो रु. 8336/- है। (संलग्न:- कैल्कुलेशन शीट)।

5. उपभोक्ता द्वारा माह दिसम्बर-2019 से अब तक लॉक क्रेडिट एम.एम.सी. बिलिंग में की भुगतान की राशि रु. 2929/- का समायोजन करते हुये कुल राशि रु. 11265/- का सुधार किया जा रहा है।

(संलग्न:- पेमेंट डिटेल)

6. उक्त सुधार तथा समायोजन के पश्चात की शेष राशि का भुगतान योग्य है।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने माह अगस्त-22 में 2960 यूनिट की रीडिंग का बिल राशि रु. 27674/- पर आपत्ति दर्ज की है। विपक्ष ने कथन में बताया है कि बिल माह दिसम्बर-19 से दर्ज मीटर क्रमांक 93037379 की स्मार्ट मीटर द्वारा ऑनलाइन रीडिंग आ रही थी जो 67 यूनिट थी इसके अनुसार शुन्य खपत की बिलिंग माह अगस्त-22 तक सिस्टम द्वारा जनरेट किये जा रहे थे। अगस्त-22 में शुन्य खपत कनेक्शन की जाँच में उपभोक्ता के परिसर में लगे मीटर क्रमांक 93039332 की रीडिंग 3027 पाई गई है। उक्त रीडिंग को उक्त दिनांक से अब तक स्लेब करके सुधार राशि रु. 8336/- एवं एम.एम.सी लॉक क्रेडिट राशि रु. 2929/- कुल क्रेडिट राशि रु. 11265/- का समायोजन किया जा रहा है।

उभयपक्षों के कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी के घरेलू कनेक्शन का परिसर की माह अगस्त-22 में जाँच करने पर मीटर क्रमांक 93039332 की रीडिंग 3027 पाई गई है जबकि विपक्ष द्वारा मासिक बिल में मीटर क्रमांक 93037379 के अनुसार रीडिंग 67 पर शुन्य खपत की बिलिंग की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिसर में स्थापित मीटर की वास्तविक खपत 2960 यूनिट एकत्रीत खपत है। अतः एकत्रीतखपत 2960 यूनिट को माह जनवरी-20 से अगस्त-22 तक के माहों में सामान रूप से विभक्त करके स्लेब बेनिफिट का लाभ देते हुये तथा शासन की योजना का लाभ सम्मिलित करते हुये संशोधित देयक जारी किया जाना चाहिये एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार को हटाया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता हैं।

02/ अभिमत में उल्लेखानुसार, परिवादी के घरेलू कनेक्शन का परिसर की माह अगस्त-22 में जाँच करने पर मीटर क्रमांक 93039332 की रीडिंग 3027 पाई गई है जबकि विपक्ष द्वारा मासिक बिल में मीटर क्रमांक 93037379 के अनुसार रीडिंग 67 पर शुन्य खपत की बिलिंग की गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि परिसर में स्थापित मीटर की वास्तविक खपत 2960 यूनिट एकत्रीत खपत है।

अतः एकत्रीतखपत 2960 यूनिट को माह जनवरी-20 से अगस्त-22 तक के माहों में सामान रूप से विभक्त करके स्लेब बेनिफिट का लाभ देते हुये तथा शासन की योजना का लाभ सम्मिलित करते हुये संशोधित देयक जारी किया जावे एवं फोरम के आदेश का पालन होने तक का तत्संबंधी अधिभार को हटाया जावे।

03/ मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण द्वितीय) विनियम, 2021 के अध्याय 3 की कण्डिका 3.29 में दिये गये प्रावधान के अनुसार विपक्ष फोरम के आदेश का अनुपालन आदेश प्राप्त होने की तिथि से 45 दिवस के भीतर करें।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल के.कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई)
सदस्य

(वीरेन्द्र कुमार गोयल)
अध्यक्ष